न्यायालयः— श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।
रामनगर थाना कांड संख्या—24 / 2020
समान्य पंजी संख्या—136 / 20
सरकार बनाम् मंशा देवी

आदेश

04.09.2025

पुकार की गई। अभियुक्तगण 1. मंशा देवी 2. सुनीता देवी की तरफ से हाजरी। जिसे आज भर के लिए स्वीकार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली बचाव पक्ष द्वारा धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन अभियुक्तगण के उन्मोचित किए जाने के आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत। बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 09.01.2025 को अन्तर्गत धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन के अभियुक्तगण 1. मंशा देवी 2. सुनीता देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 406, 409 / 34 भा0 दं0 वि0 के आरोप से उन्मोचित किया जाने के लिए आवेदन दिया गया। जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के जावजूद भी प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल न करने के कारण प्रतिउत्तर दाखिल करने के अवसर को समाप्त कर दिया गया। आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। बचाव पक्ष द्वारा अपने आवेदन में कहना है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें मिथ्या रूप से फसाया गया है। सूचक एवं अन्य अधिकारीगण के अनुचित मांग को पूरा न करने के कारण यह मिथ्यावाद दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 406, 409 / 34 भा0 दं0 वि0 के अधीन आरोप नहीं बनता है क्योंकि कथित कार्य को ससमय पूरा कर दिया गया। शासकीय धन का कोई दूरूपयोग नहीं किया गया है। शेष धन को डब्ल्यु0 आई0 एम0 सी0 के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है और निर्धारित कार्य पूरा कर दिया गया है। इस तथ्य को कांड दैनिकी में साक्षियों द्वारा कांड दैनिकी के पैरा 36, 37, 38, 47 में समर्थित किया गया है। कुछ तकनीकी त्रृटि के कारण कार्य को विलंब से पूरा किया गया है, परन्तु शासकीय धन का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाए।

विद्वान अभियोजन अधिकारी का अपने मौखिक प्रतिउत्तर में कहना है कि उपरोक्त वाद अभियुक्त के अन्तर्गत धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन उन्मोचित किए जाने के आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। सूचक द्वारा अभियुक्तगण पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया है। जिस विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है। पत्रावली में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। बचाव पक्ष द्वारा उन्मोचन के लिए दाखिल किया गया आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं।

आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक द्वारा दिनांक 03.02.2020 को प्राथमिकी रामनगर थाना कांड संख्याः—24 / 2020 अन्तर्गत धारा 406, 409 / 34 भा0 दं0 वि0 में अभियुक्त 1. मंशा देवी 2. सुनीता देवी के विरूद्ध दर्ज कराया।

अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र संख्याः—263/20, दिनांक 13.12.2020 को अन्तर्गत धारा 406, 409/34 भा0 दं0 वि0 में अभियुक्त 1. मंशा देवी 2. सुनीता देवी के विरूद्ध समर्पित किया। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2023 को अन्तर्गत धारा 406, 409/34 भा0 दं0 वि0 में अभियुक्तगण 1. मंशा देवी 2. सुनीता देवी के विरूद्ध संज्ञान ग्रहण किया। अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित हो जाने के उपरांत पत्रावली आरोप गठन हेतु नियत हुई। कांड दैनिकी के पैरा 5 वादी जितेन्द्र सिंह, पैरा 36 में साक्षी हरिनारायण साह, पैरा 37 में उमेश पटेल, पैरा 38 में दिनेश कुमार एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। प्राथमिकी, मूल कांड दैनिकी, आरोप पत्र एवं संज्ञान आदेश से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गठन किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अभियुक्तगण को केवल इस आधार पर उन्मोचित नहीं किया जा सकता है कि कार्य को समय बीतने के पश्चात् पूर्ण करा दिया गया है। **एंटी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद बनाम् सूर्यप्रकाश 1999 एस0 सी0 सी0 क्रिमिनल 373 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा विधि व्यवस्था दी गई है कि आरोप गठन के स्तर पर न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्य की पर्याप्तता पर तथा न ही साबित तथ्यों पर विचार करना चाहिए बल्कि कांड दैनिकी में विद्यमान तथ्यों पर विचार करना चाहिए।

इसी तथ्य को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम् देवेन्द्र नाथ पाड़ी 2005 ए0 सी0 सी0 209** के मामले में अनुमोदित किया। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1. मंशा देवी 2. सुनीता देवी को अन्तर्गत धारा 406, 409/34 भा0 दं0 वि0 से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। अतः बचाव पक्ष द्वारा धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन दिए गए आवेदन को खारिज किया जाता है। आरोप गठन हेतु दिनांक **08.10.2025** नियत।

लेखापित

अलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।